	नोटशीट	
	सरकार बनाम रामीदेवी आदि **मुकदमा नम्बर 4/09 अन्तर्गत धारा 13ए**	
07–07–17	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस पत्रावली में दिनांक 3–7–17 को सुनी जा चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय की अपील सं0 251/08 अनवानी गुरबक्शसिंह बनाम सरकार में दिनांक 29–01–09 को पारित निर्णय के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा इस न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 31–03–08 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामला राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए की परिधि में आता है तो नियामनुसार शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा करवा कर नियमन की कार्यवाही की जावे। प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मौके की रिपोर्ट एवं पक्षकारों को तलब किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर केरिमाण्ड आदेश दिनांक 29–01–09 की पालना में अप्रार्थी को शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा कराई जानी थी, जो उसके द्वारा नहीं करवाई गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(27)उप/1984 जयपुर दिनांक 17–6–2014 के अनुसार धारा 13क की उपधारा (1) के तहत अन्तरणो को विधिमान्य घोषित करने के लिए 31–12–2014 तक अवधि बढ़ाई गई थी। चूँकि अब शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा कराये जाने के आदेश सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विवादित रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाना चाहिये। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रश्नगत भूमि चक 14 एस0डी0एस0 तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नं0 4 का किला नं0 11 से 20 और कि0 नं0 23 से 25 कुल 13–00 बीघा नहरी रकबा पुनर्वास विभाग से नान क्लेमेन्ट के रूप में किश्तों पर आवंटित हुआ था। पुनर्वास विभाग, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 17–10–57 से उक्त रकबा अप्रार्थिया को दिया गया जिसकी समस्त किश्तें जमा होने पर खातेदारी सनद क्रमांक 605 दिनांक 6–12–1980 को अप्रार्थिया मु0 रामी के नाम से जारी हो चुकी है। इस प्रकार विवादित रकबा कस्टोडियन विभाग से आवंटित होकर खातेदारी सनद जारी हुई है इसलिए राजस्थान उपनिवेश अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रकरण खारिज किया जावे। जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु नहीं उठाया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–1–09 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर नियमानुसार शमन फीस व ब्याज की राशि जमा कराये जाने के आदेश दिये गए थे, लेकिन अप्रार्थिया मु0 रामी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

चुकी है।

प्रस्तुत प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय की अपील सं0 251/08 अनवानी गुरबक्शसिंह बनाम सरकार में दिनांक 29–01–09 को पारित निर्णय के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा इस न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 31–03–08 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामला राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए की परिधि में आता है तो नियामनुसार शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा करवा कर नियमन की कार्यवाही की जावे।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मौके की रिपोर्ट एवं पक्षकारों को तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर केरिमाण्ड आदेश दिनांक 29–01–09 की पालना में अप्रार्थी को शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा कराई जानी थी, जो उसके द्वारा नहीं करवाई गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(27)उप/1984 जयपुर दिनांक 17–6–2014 के अनुसार धारा 13क की उपधारा (1) के तहत अन्तरणो को विधिमान्य घोषित करने के लिए 31–12–2014 तक अवधि बढ़ाई गई थी। चूँकि अब शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा कराये जाने के आदेश सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विवादित रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाना चाहिये।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रश्नगत भूमि चक 14 एस0डी0एस0 तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नं0 4 का किला नं0 11 से 20 और कि0 नं0 23 से 25 कुल 13–00 बीघा नहरी रकबा पुनर्वास विभाग से नान क्लेमेन्ट के रूप में किश्तों पर आवंटित हुआ था। पुनर्वास विभाग, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 17–10–57 से उक्त रकबा अप्रार्थिया को दिया गया जिसकी समस्त किश्तें जमा होने पर खातेदारी सनद क्रमांक 605 दिनांक 6–12–1980 को अप्रार्थिया मु0 रामी के नाम से जारी हो चुकी है। इस प्रकार विवादित रकबा कस्टोडियन विभाग से आवंटित होकर खातेदारी सनद जारी हुई है इसलिए राजस्थान उपनिवेश अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु नहीं उठाया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–1–09 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर नियमानुसार शमन फीस व ब्याज की राशि जमा कराये जाने के आदेश दिये गए थे, लेकिन अप्रार्थिया मु0 रामी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाई है और न ही वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ऐसी राशि जमा करवाये जाने की कोई छूट दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाना चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि चक 14

एस0डी0एस0 के मुरब्बा नं0 4 की 13–00 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग से आवंटित है तथा खातेदारी सनद दिनांक 26–11–1980 को जारी होने के उपरांत दिनांक 13–01–1988 को बेचान कर दिया गया है। खातेदारी सनद जारी होने के उपरांत विवादित भूमि को बिना जिला कलक्टर की स्वीकृति प्राप्त किये राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13–ए(1–ए) के अन्तर्गत शमन फीस एवं ब्याज जमा करवाने पर ही विधिमान्य घोषित किया जा सकता था। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26–3–08 द्वारा चालान जारी करने के आदेश पारित किये गये थे तब शमन फीस जमा कराने की अवधि दिनांक 31–8–08 तक राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई हुई थी, लेकिन अप्रार्थिया द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उक्त शमन फीस एवं ब्याज की राशि जमा नहीं करवाई जिससे दिनांक 31–08–08 को आदेश पारित कर विवादित रकबा 13–00 बीघा बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश को अप्रार्थिया द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील में चुनौती दी गई। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–01–09 द्वारा भी **नियमानुसार** शमन फीस व ब्याज जमा कराने के आदेश दिये गये थे। उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में भी अप्रार्थिया द्वारा शमन फीस व ब्याज की राशि **नियमानुसार** जमा नहीं करवाई गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(27)उप/1984 जयपुर दिनांक 17–6–2014 के अनुसार धारा 13क की उपधारा (1) के तहत अन्तरणो को विधिमान्य घोषित करने के लिए 31–12–2014 तक अवधि बढ़ाई गई थी। तत्पश्चात् शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा कराये जाने के आदेश सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में नियमानुसार राशि जमा नहीं करवाई जा सकती हैं लिहाजा विवादित रकबा बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

निष्कर्षत, अप्रार्थिया मु0 रामीदेवी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29–01–09 की पालना में नियमानुसार शमन फीस एवं ब्याज की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण वाके चक 14 एस0डी0एस0 तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नं0 4 का किला नं0 11 से 20 और कि0 नं0 23 से 25 कुल 13–00 बीघा नहरी रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाता है। तहसीलदार, सादुलशहर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त रकबा को तत्काल बहक सरकार लिया जाकर नियमानुसार काश्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावे। भविष्य में यदि ऐसे प्रकरणों में शमन राशि मय ब्याज जमा कराए जाने की अवधि बढाई जाती हैं तो अप्रार्थिया मुःरामी देवी नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार हकदार हो तो, स्वतंत्र होगी। आदेश की प्रति तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 7–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)

ही विधिमान्य घोषित किया जा सकता था। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26–3–08 द्वारा चालान जारी करने के आदेश पारित किये गये थे तब शमन फीस जमा कराने की अवधि दिनांक 31–8–08 तक राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई हुई थी, लेकिन अप्रार्थिया द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उक्त शमन फीस एवं ब्याज की राशि जमा नहीं करवाई जिससे दिनांक 31–08–08 को आदेश पारित कर विवादित रकबा 13–00 बीघा बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश को अप्रार्थिया द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील में चुनौती दी गई। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–01–09 द्वारा भी **नियमानुसार** शमन फीस व ब्याज जमा कराने के आदेश दिये गये थे। उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में भी अप्रार्थिया द्वारा शमन फीस व ब्याज की राशि **नियमानुसार** जमा नहीं करवाई गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(27)उप/1984 जयपुर दिनांक 17–6–2014 के अनुसार धारा 13क की उपधारा (1) के तहत अन्तरणो को विधिमान्य घोषित करने के लिए 31–12–2014 तक अवधि बढ़ाई गई थी। तत्पश्चात् शमन फीस मय ब्याज की राशि जमा कराये जाने के आदेश सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में नियमानुसार राशि जमा नहीं करवाई जा सकती हैं लिहाजा विवादित रकबा बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

निष्कर्षत, अप्रार्थिया मु0 रामीदेवी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29–01–09 की पालना में नियमानुसार शमन फीस एवं ब्याज की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण वाके चक 14 एस0डी0एस0 तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नं0 4 का किला नं0 11 से 20 और कि0 नं0 23 से 25 कुल 13–00 बीघा नहरी रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाता है। तहसीलदार, सादुलशहर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त रकबा को तत्काल बहक सरकार लिया जाकर नियमानुसार काश्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावे। भविष्य में यदि ऐसे प्रकरणों में शमन राशि मय ब्याज जमा कराए जाने की अवधि बढाई जाती हैं तो अप्रार्थिया मुःरामी देवी नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार हकदार हो तो, स्वतंत्र होगी। आदेश की प्रति तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 7–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)